Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding demarcation of 'O' Zone in Delhi- laid

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): मैं माननीय शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप पुरी जी का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थित बदरपुर विधानसभा की तरफ केंद्रित कराना चाहता हूं । दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली को 15 zone में बांटा गया है । इनमें से एक zone 'O-Zone' कहलाता है । जो यमुना का फ्लड़ प्लेन जोन है । नदी की धारा अप्रभावित रहे एवं क्षेत्र में अतिक्रमण न हो इसलिए इस जोन में निर्माण प्रतिबंधित है । यमुना नदी के प्रदूषण को लेकर माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में भी petition no.6/2012 लंबित है । इस zone का demarcation करना अत्यंत आवश्यक है । इस संदर्भ में माननीय NGT ने भी दिनांक 13-1-2015 को दिल्ली सरकार को निर्देशित किया था कि तत्काल demarcation कराया जाए परंतु 3 वर्ष बीतने के बाद भी demarcation नहीं किया गया । तत्पश्चात माननीय NGT ने 26 जुलाई 2018 को एक समिति का गठन किया जिससे यह demarcation सुनिश्चित किया जा सके । कमेटी की जून 2020 की रिपोर्ट में भी बदरपुर क्षेत्र में demarcation न होने की बात की गई है बदरपुर विधानसभा के मीठापुर, जैतपुर, हरिनगर इत्यादि कॉलोनियां जो कभी कृषि भूमि थी और समय के साथ उन पर अनियमित कॉलोनियां विकसित हुई । इन कॉलोनियों में 50-100 गज के मकान हैं जिनमें गरीब लोग रहते हैं । बढ़ते परिवार के साथ यदि वे और निर्माण करते हैं तो दिल्ली सरकार के अधिकारियों द्वारा इस पर आपत्ति जतायी जाती हैं । यह सभी कॉलोनियाँ 0-zone से बाहर हैं परंतु demarcation ना होने के कारण 0-zone के बाहर स्थित कॉलोनियों में रहने वालों को o-zone के नाम से डराया जाता है । हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने वर्ष 2022 तक सबको अपना मकान दिलाने का संकल्प लिया है परंतु दिल्ली सरकार उनकी सहायता के लिए आगे नहीं आ रही है । मेरा माननीय शहरी विकास मंत्री जी से अनुरोध है कि वो माननीय LG साहब द्वारा डीडीए एवं राजस्व विभाग की एक संयुक्त टीम का गठन कर बदरपुर में 0-zone का demarcation कराना सुनिश्चित करें एवं जिन कॉलोनियों को zonal master plan

ने अनुचित तरीके से 0-zone में डाला गया है जैसे जैतपुर एक्स्टेशन, इत्यादि को 0-zone श्रेणी से बाहर किया जा सके ।